

# हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल

## विज्ञापित

शिक्षता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षता अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। प्रशिक्षुओं का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है :-

Trade	Requirement	Trade	Requirement
Mechanic Motor Vehicle	03	Electrician	08
Welder	05	Steno Typist	01
Carpenter	03	Diesel Mechanic	02
Fitter	06		

**Total Apprenticeship Requirement= 28**

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट ([www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in)) पर दिनांक 03.10.2023 से 13.10.2023 तक सांय 17:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं. आई.डी., रिहायशी प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. की फाइनल मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें। अगर ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व नियुक्ति से पूर्व उसके दस्तावेजों के निरीक्षण उपरान्त कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा दिनांक 13.10.2023 के पश्चात किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। फाइनल लिस्ट जारी होने उपरान्त यदि आवेदक एक सप्ताह के अन्दर-2 अपनी उपस्थिति कार्यालय में नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सफल प्रशिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट के अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा।

हस्ता/- महाप्रबन्धक

हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल

पोआरडीएच-1119/11/377/2024/21030/88/6 दि. 13.09.23